<u>मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल</u>

विषय :– राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सोलहवीं बैठक, दिनांक 25.02.2012 का कार्यवाही विवरण।

———

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सोलहवीं बैठक दिनांक 25.02.2012 को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गयेः–

01. <u>एजेण्डा क्रमांक–1</u> समिति की पन्द्रहवीं बैठक दिनांक 16.11.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

02. <u>एजेण्डा क्रमांक–2</u> सदस्य सचिव द्वारा समिति की पन्द्रहवीं बैठक दिनांक 16.11.2011 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति निम्न जानकारी से अवगत हुई–

(अ) मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अंतर्गत उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन हेतु विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इकाई के पक्ष में पंजीयन जारी किये जाने की जानकारी दी गई।

(ब) बैठक में स्वीकृत क्लेम प्रकरणों में 16 प्रकरणों में राशि वितरण किये जाने की जानकारी दी गई।

03. **<u>एजेण्डा क्रमांक–3</u> उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अन्तर्गत इकाईयों को उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों में किये पूंजी निवेश के आधार पर इकाई की पात्रता (50% से 75%) संशोधित करने पर विचार करने विषयक –**

ऐसी इकाईयाँ जिनका उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश पिछड़ा 'स'/पिछड़ा 'ब'/पिछड़ा 'अ'/अग्रणी जिले में क्रमशः रू. 10.00/15.00/20.00/25.00 करोड़ से कम रहता है, को वर्तमान में 50 प्रतिशत सुविधा प्राप्त होती है जो कि आगे भी निरंतर रहती है। उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् (3 वर्षों में) ऐसी इकाईयाँ जिनका मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 10.00/15.00/20.00/25.00 करोड़ अथवा उससे अधिक हो जाता है, के सन्दर्भ में सुविधा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने हेतु विचार करने पर समिति द्वारा यह पाया गया कि योजनान्तर्गत उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों के अन्दर किये गये पूंजी निवेश को सुविधा की सीमा बढ़ाये जाने हेतु जोड़े जाने का प्रावधान नियमों में पूर्व से ही है। शीर्ष स्तरीय समिति के द्वारा भी मेगा प्रॉजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड

पैकेज प्रस्तावित स्थिति में प्रदान किया जाता है जिसमें इकाईयों द्वारा प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश को पूर्ण करने के लिए उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों का समय प्रदान किया जाता है।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि, ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनके द्वारा प्रथमतः अग्रणी/पिछड़ा 'अ'/पिछड़ा 'ब'/पिछड़ा 'स' जिले में क्रमशः रू. 25.00/20.00/15.00/10.00 करोड़ से कम स्थायी पूंजी निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ किया जाता है उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् वे अपने पूंजी निवेश में प्रस्तावित एवं पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप वृद्धि करती है तो उन्हें बढ़े हुए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निवेश संवर्धन सहायता 50 से 75 प्रतिशत किया जाना उपयुक्त है। उपरोक्तानुसार सुविधा में संशोधन के लिए वर्तमान में प्रचलित योजना में निहित प्रावधान समुचित एवं पर्याप्त हैं तथा इनमें किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी इकाईयों को बढ़ी हुई सुविधा उस दिनांक से प्रदान की जाएगी जिस दिनांक को इकाई द्वारा जिले की श्रेणी अनुसार (अग्रणी जिले के लिए रू. 25.00 करोड़/पिछड़ा 'अ' जिले के लिए रू. 20.00 करोड़/ पिछड़ा 'ब' जिले के लिए रू. 15.00 करोड़/ पिछड़ा 'स' जिले के लिए रू. 10.00 करोड़) न्यूनतम पूंजी निवेश की सीमा से अधिक पूंजी निवेश मान्य किये जाने के पश्चात् समिति द्वारा सुविधा में वृद्धि किये जाने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

04. **<u>एजेण्डा क्रमांक–4</u>** : इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात योजनांतर्गत पंजीयन हेतु विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर विलंब को शिथिल करने पर विचार करने के संबंध में एजेण्डा में एक प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में लिया गया निर्णय इस प्रकार है –

<u>मेसर्स आदित्य फूड प्रॉडक्ट्स, भोपाल शेड नं. 2, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा जिला भोपाल</u> – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ–पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत पंजीयन जारी किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 15.02.2010 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 01.11.2007 से की जावेगी।

05. **<u>एजेण्डा क्रमांक–5 मेसर्स नर्मदा एक्स्ट्रूजन्स लिमिटेड प्लॉट क्र. 71, औद्योगिक क्षेत्र–1, पीथमपुर जिला धार</u>** – समिति इस तथ्य से अवगत हुई कि इकाई द्वारा **'फेब्रिक्स'** का उत्पादन प्रथम उत्पादन दिनांक 30.09.2006 से किया जा रहा है तथा इकाई के पक्ष में जारी उत्पादन प्रमाण पत्र, आईईएम, वाणिज्यिक कर पंजीयन, प्रवेश कर मुक्ति प्रमाण पत्र तथा एक्साइज पंजीयन में फेब्रिक्स उत्पाद पूर्व से ही शामिल है। इकाई द्वारा अपने प्रथम

प्रस्तुत आवेदन में लिपिकीय त्रुटिवश फेब्रिक्स का उल्लेख न हो पाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचारोपरांत विलंब शिथिल करते हुए, योजनान्तर्गत प्रदत्त पंजीयन में फेब्रिक्स को आवेदन के दिनांक (21.08.2008) से जोड़े जाने हेतु निर्णय लिया गया।

06. **एजेण्डा क्रमांक–6 : मेसर्स मैहर सीमेंट, मैहर जिला सतना –** राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.05.2011 में यह निर्णय लिया गया था कि इकाई के योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश में कैप्टिव पॉवर प्लांट में किया गया निवेश शामिल किया जाए अथवा नहीं इस संबंध में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का आदेश प्राप्त किया जाये तत्पश्चात् राज्य स्तरीय समिति द्वारा इकाई को निवेश संवर्धन सहायता प्रदान किये जाने पर विचार किया जावेगा। समिति को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि इकाई के पक्ष में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा वर्ष 2006 में रू. 120.00 करोड़ के प्रस्तावित पूंजी निवेश को वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्र. /एफ–20 –31/05/बी/ग्यारह, भोपाल दिनांक 02.03.2006 द्वारा मेगा प्रॉजेक्ट के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किया जा चुका इकाई के पक्ष में जारी कस्टमाइज्ड पैकेज में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है –

''सतना जिला पिछड़े जिलों में 'अ' श्रेणी में आता है अतः नीति के मुताबिक 5 साल के लिए सहायता की पात्रता आती है। कम्पनी की प्रस्तावित तकनीकी उन्नयन परियोजना को विशेष महत्व की परियोजना मानते हुए पिछड़े जिले की 'ब' श्रेणी की भांति 7 वर्षों हेतु उद्योग निवेश संवर्धन सहायता प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।''

प्रकरण पर विचार किये जाने के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समिति के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि इकाई के पक्ष में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा स्वीकृत कस्टमाईज्ड पैकेज अंतर्गत विद्युत शुल्क से मुक्ति,प्रवेश कर मुक्ति एवं उर्जा विकास उपकर से मुक्ति की सुविधा केप्टिव पॉवर प्लांट को विस्तार परियोजना के साथ सम्मिलित कर प्रदान की गई है, जबकि इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना से संबंधित बिन्दु में विस्तार परियोजना के साथ केप्टिव पॉवर प्लांट को सम्मिलित करने का उल्लेख नही है।

उपरोक्त तथ्य से सहमत होते हुये समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इकाई को विस्तार परियोजना के लिये उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना प्रदान किये जाने हेतु कुल स्थायी पूंजी निवेश में केप्टिव पॉवर प्लांट में किया गया निवेश सम्मिलित होगा अथवा नही, इस संबंध में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का पुनः स्पष्ट आदेश प्राप्त किया जाये एवं तत्पश्चात् प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

07. <u>एजेण्डा क्रमांक–7: मेसर्स कमल कॉटस्पिन प्रा. लि., जिला बुरहानपुर</u> –

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए इकाई का प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के रूप में दिनांक 01.04.2009 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में प्रकरण वाणिज्यिक कर विभाग के इस अनुरोध पर स्थगित रखा गया था कि इकाई द्वारा विचाराधीन अवधि के लिये, इकाई के पक्ष में टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की कार्यवाही की जांच अभी शेष है। बैठक के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में वास्तविक रूप से चुकाया गया कर रू. 19,74,000.00 है अतः इकाई को इस राशि के 75 प्रतिशत पर निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता होगी।

इकाई के पक्ष में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बुरहानपुर द्वारा इकाई के पक्ष में उत्पादन दिनांक 01.04.2009 तक स्थायी पूंजी निवेश रू. 4246.42 लाख मान्य करते हुए 'स' श्रेणी में स्थापित होने तथा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 10.00 करोड़ से अधिक होने के आधार पर दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2019 तक 10 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता की अनुशंसा करते हुए वर्ष 2009–10 हेतु कुल चुकाये गये कर रू. 21,16,993.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 15,87,745.00 निवेश संवर्धन सहायता की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक 01.04.2009 तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 4246.42 लाख मान्य करते हुए, इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में पंजीकृत उत्पाद **'कॉटन यार्न'** के विक्रय पर, इकाई द्वारा वास्तविक रूप से चुकाये गये कर रू. 19,74,000.00 (वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराये गये अनुसार) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 14,80,500.00 (रूपये चौदह लाख अस्सी हजार पांच सौ मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में प्रथम क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 14,80,500.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 42,31,61,500.00 शेष रहेगी।

08. <u>एजेण्डा क्रमांक–8: मेसर्स त्रिमुला इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम पोस्ट गोदावली, तहसील–देवसर, जिला सिंगरौली</u> –

प्रकरण समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिस पर समिति द्वारा तत्समय वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कि इकाई वर्तमान में बंद है, यह निर्णय लिया गया था कि महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सिंगरौली से इकाई के संबंध में वास्तविक तथ्य प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

इकाई के संबंध में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीधी/सिंगरौली से वास्तविक स्थिति ज्ञात करने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक जिव्याउके/सीधी/वि.स.हा./2011–12/4389 दिनांक 27.12.2011 से अवगत कराया गया है कि इकाई 27.10.2011 से 02.12.2011 तक मैंटेनेंस हेतु बंद की गई थी, जिसकी इकाई द्वारा विधिवत सूचना केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को दी गई थी। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीधी/सिंगरौली द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इकाई दिनांक 03.12.2011 से अनवरत उत्पादनरत है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीधी/सिंगरौली से प्राप्त उपरोक्त जानकारी के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इकाई का द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के रूप में दिनांक 07.07.2007 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है तथा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 3504.77 लाख स्वीकृत करते हुए इकाई के पक्ष में उत्पादन दिनांक 07.07.2007 से 31.03.2008 तक (10 वर्ष) के लिए 75 प्रतिशत सुविधा स्वीकृत की जा चुकी है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सिंगरौली द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए इकाई के पक्ष में रू. 1,50,16,876.00 निवेश संवर्धन सहायता की अनुशंसा की गई है जिसे वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2008–09 के लिए प्रस्तुत द्वितीय क्लेम हेतु इकाई के पंजीकृत उत्पाद **'स्पंज आयरन'** के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 2,00,22,502.00 (आईटीआर कम करने के पश्चात्) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 1,50,16,876.00 (रूपये एक करोड़ पचास लाख सोलह हजार आठ सौ छिहत्तर मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में प्रथम एंव द्वितीय क्लेम हेतु कुल सहायता राशि रू. 2,86,71,737.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 32,18,05,263.00 शेष रहेगी।

09. **एजेण्डा क्रमांक–09 : मेसर्स व्ही.आर.एस. फूड्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र (घिरौंगी), जिला भिण्ड** –

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए इकाई द्वारा किये गये प्रथम विस्तार के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा प्रथम विस्तार अन्तर्गत दिनांक 27.03.2007 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इकाई का वर्ष 2006–07 का प्रथम क्लेम निरंक है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर द्वारा इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में किया गया पूंजी विनियोजन रू. 1035.58

लाख मान्य करते हुए जिला भिण्ड औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण पात्रता अवधि उत्पादन दिनांक 27.03.2007 से 26.03.2017 तक अर्थात 10 वर्ष तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत मान्य की जाकर वर्ष 2007–08 में जमा कर राशि रू. 1,23,51,207.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 92,63,405.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की है।

महाप्रबंधक द्वारा इकाई के पक्ष में भूमि मद में किया गया निवेश रू. 34.00 लाख मान्य किया गया है। योजनान्तर्गत भूमि मद में कुल निर्मित क्षेत्र की दो गुनी भूमि का मूल्य अधिकतम मान्य किया जा सकता है जिसके आधार पर इकाई के पक्ष में भूमि मद में मान्य योग्य राशि रू. 3.51 लाख है। भूमि मद में अमान्य योग्य राशि रू. 30.49 लाख कम करने के पश्चात् इकाई का योजनान्तर्गत मान्य योग्य पूंजी निवेश रू. 1005.09 लाख है।

समिति द्वारा विचारोपरांत, उत्पादन दिनांक की स्थिति में इकाई का पूंजी निवेश रू. 1005.09 लाख मान्य कर दिनांक 27.03.2007 से 26.03.2017 तक 10 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत करते हुए वर्ष 2007–08 के लिए प्रथम विस्तार अन्तर्गत द्वितीय क्लेम हेतु, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर चुकाये गये कर रू. 1,23,51,207.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 92,63,405.00 (रूपये ब्यानवे लाख त्रैसठ हजार चार सौ पाँच मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में वर्ष 2006–06 निरंक एवं 2007–08 हेतु यह सहायता राशि रू. 92,63,405.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए रू. 9,12,45,595.00 सहायता राशि शेष रहेगी।

10. <u>एजेण्डा क्रमांक–10: मेसर्स मेसर्स व्ही.आर.एस. फूड्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र (घिरौंगी), जिला भिण्ड–</u>

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इकाई द्वारा किये गये प्रथम विस्तार के अन्तर्गत तृतीय वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा प्रथम विस्तार अन्तर्गत दिनांक 27.03.2007 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर द्वारा वर्ष 2008–09 के लिये जमा कर राशि रू. 51,65,358.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 38,74,018.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा इकाई के द्वितीय वर्ष के क्लेम प्रकरण की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1005.09 लाख, पात्रता अवधि दिनांक 27.03.2007 से 26.03.2017 तक 10 वर्ष तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2008–09 के लिए प्रथम विस्तार अन्तर्गत तृतीय क्लेम हेतु, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर चुकाये गये कर रू. 51,65,358.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 38,74,018.00 (रूपये अड़तीस लाख चौहत्तर हजार अठारह मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में वर्ष 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 हेतु कुल राशि रू. 1,31,37,423.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए रू. 8,73,71,577.00 सहायता राशि शेष रहेगी।

11. <u>एजेण्डा क्रमांक–11: मेसर्स सोनी इस्पात लिमिटेड</u> –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। समिति इकाई के सन्दर्भ में इस तथ्य से अवगत हुई कि आयकर विभाग को इकाई से आयकर, ब्याज एवं पेनाल्टी के रूप में रू. 71024531.00 लेने हैं जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा पत्र क्र. पत्र क्र. एसीआईटी–4(1)/नियोकॉर्प/226(3)/इण्ड/88 दिनांक 07.10.2011 से उद्योग आयुक्त को सूचित करते हुए अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सूचना जारी होने के पश्चात्, उद्योग विभाग की ओर से इकाई को देय देनदारियाँ, इकाई को न दी जाकर आयकर विभाग को देय होंगी।

आयकर विभाग द्वारा जारी उक्त सूचना के प्रकाश में समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि जब तक इकाई की आयकर विभाग को देय देनदारियों का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक प्रकरण स्थगित रखा जाये।

12. <u>एजेण्डा क्रमांक–12: मेसर्स जीईआई पॉवर लिमिटेड मण्डीदीप जिला रायसेन</u> – वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए इकाई का द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के रूप में दिनांक 27.03.2009 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2008–09 के लिए इकाई की क्लेम अवधि 3 दिवस की है जिसके लिए इकाई द्वारा क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा इकाई के पक्ष में उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 858.52 लाख मान्य किये जाने पर सुविधा 50 प्रतिशत, 5 वर्षों (27.03.2009 से 26.03.2014) के लिए तथा इकाई द्वारा आवेदित स्थायी पूंजी निवेश रू. 1087.53 लाख मान्य किये जाने पर सुविधा 75 प्रतिशत, 10 वर्षों (27.03.2009 से 26.03.2019) के लिए दिये जाने हेतु निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये जाने की अनुशंसा की गई है।

इकाई द्वारा दिनांक 31.07.2011 तक किये गये पूंजी निवेश रू. 59.94 करोड़ के आधार पर दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2019 (10 वर्ष) तक 75 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता की मांग की गई है। समिति द्वारा यह पाया गया कि इकाई का उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत मान्य योग्य पूंजी निवेश रू. 858.52 लाख है, जो कि रू. 10.00 करोड़ से

कम है अतः नियमानुसार इकाई को प्रथम क्लेम हेतु 50 प्रतिशत सहायता की पात्रता होगी। एजेण्डा बिन्दु क्र. 3 में लिये गये नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्षों में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के समय इकाई द्वारा जब रू. 10.00 करोड़ से अधिक मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश किया जावेगा तब राज्य स्तरीय समिति द्वारा इकाई की सुविधा 50 से 75 प्रतिशत एवं अवधि 5 से 10 वर्ष किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर, समिति द्वारा विचारोपरांत उत्पादन दिनांक की स्थिति में, इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 858.52 लाख मान्य कर, उत्पादन दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2014 तक पाँच वर्षों हेतु सुविधा स्वीकृत करते हुए वर्ष 2009–10 के लिए प्रस्तुत प्रथम क्लेम हेतु एजेण्डा में उल्लेखित इकाई के पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 1,92,90,903.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं आईटीआर कम करने के पश्चात्) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 96,45,451.00 (रू. छियानवे लाख पैंतालीस हजार चार सौ इंक्यावन मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में प्रथम क्लेम हेतु कुल सहायता राशि रू. 96,45,451.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 7,62,06,549.00 शेष रहेगी।

13. <u>एजेण्डा क्रमांक–13: मेसर्स पैरेन्ट्रल ड्रग्स (इण्डिया) लिमिटेड ग्राम असरावद, नेमावर रोड, इन्दौर</u>

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए इकाई द्वारा किये गये विस्तार के अन्तर्गत प्रथम वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा विस्तार अन्तर्गत दिनांक 28.02.2010 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

इकाई द्वारा विस्तार अन्तर्गत आवेदित स्थायी पूंजी निवेश 10144.53 लाख के विरूद्ध महाप्रबंधक द्वारा योजनान्तर्गत स्थायी मदों में स्थायी पूंजी निवेश रू. 6806.41 लाख मान्य किया गया है। राशि अमान्य किये जाने का कारण, बिल व्हाउचर्स आदि का सत्यापन नहीं कराया जाना है। इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 10.00 करोड़ से अधिक होने तथा जिला इंदौर औद्योगिक दृष्टि से 'अग्रणी' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण महाप्रबंधक, इन्दौर द्वारा इकाई की पात्रता अवधि उत्पादन दिनांक 28.02.2010 से 27.02.2013 तक अर्थात 3 वर्ष तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत मान्य करते हुए इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 में विस्तारित क्षमता अन्तर्गत पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर चुकाये गये कर रू. 1,21,43,204.00 का 75 प्रतिशत (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) अर्थात रू. 91,07,403.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 6806.41 लाख मान्य कर, इकाई के पक्ष में उत्पादन दिनांक 28.02.2010 से 27.02.2013 तक तीन वर्षों हेतु 75 प्रतिशत सुविधा स्वीकृत करते हुए वर्ष 2009–10 के लिए एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये

कर रू. 1,21,43,204.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 91,07,403.00 (रूपये इंक्यानवे लाख सात हजार चार सौ तीन मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में प्रथम क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 91,07,403.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 67,15,34,137.00 शेष रहेगी।

14. <u>एजेण्डा क्रमांक–14ः मेसर्स मेथोडेक्स सिस्टम्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर</u> –

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इकाई का प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के रूप में दिनांक 25.06.2010 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर, जिला धार द्वारा स्थायी पूंजी निवेश रू. 1024.69 लाख मान्य किये जाने की अनुशंसा करते हुए वर्ष 2010–11 में दिनांक 25.06.2010 से 31.03.2011 की अवधि हेतु, इकाई के पक्ष में 75 प्रतिशत के आधार पर सुविधा रू. 9,99,925.00 निवेश संवर्धन सहायता की अनुशंसा की गई है।

इकाई द्वारा प्रस्तुत क्लेम आवेदन में आवेदित स्थायी पूंजी निवेश रू. 1035.15 लाख है जिसमें भूमि मद में किया गया निवेश रू. 134.67 लाख, पीओपी मद में 10.46 लाख प्लांट एवं मशीनरी हेतु अग्रिम 16.37 लाख शामिल है। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि योजनान्तर्गत भूमि मद में कुल निर्मित क्षेत्र की दोगुनी भूमि का मूल्य अधिकतम मान्य किया जा सकता है, जिसके आधार पर इकाई के पक्ष में भूमि मद में मान्य योग्य राशि रू. 52.63 लाख होगी। भूमि मद में किया गया अधिक पूंजी निवेश रू. 82.04 लाख तथा योजनान्तर्गत अमान्य योग्य राशि रू. 10.46 लाख (प्रिलिमिनरी एवं प्रीऑपरेटिव्ह व्यय) एवं 16.37 लाख (अग्रिम) इस तरह कुल रू. 108.87 लाख कम करने पर इकाई का, उत्पादन दिनांक की स्थिति में मान्य योग्य पूंजी निवेश रू. 926.28 लाख रह जाता है अतः इकाई को दिनांक 25.06.2010 से 24.06.2015 तक पाँच वर्षों हेतु 50 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता हो सकेगी।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए विचारोपरांत, उत्पादन दिनांक की स्थिति में इकाई का पूंजी निवेश रू. 926.28 लाख मान्य कर दिनांक 25.06.2010 से 24.06.2015 तक पांच वर्षों हेतु 50 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत करते हुए वर्ष 2010–11 के लिए प्रथम क्लेम हेतु, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर चुकाये गये कर रू. 13,33,233.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 6,66,616.00 (रूपये छः लाख

छियासठ हजार छः सौ सोलह मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में प्रथम क्लेम हेतु कुल सहायता राशि रू. 6,66,616.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 9,19,61,384.00 शेष रहेगी।

15. <u>एजेण्डा क्रमांक–15: मे. यूनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड, सतना –</u>

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इकाई द्वारा किये गये तकनीकी उन्नयन सह विस्तार के अन्तर्गत द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा तकनीकी उन्नयन सह विस्तार अन्तर्गत दिनांक 29.03.2007 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना द्वारा तकनीकी उन्नयन सह विस्तार अन्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 6596.62 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2008–09 में इकाई द्वारा पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर चुकाये गये कर रू. 4,67,33,366.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 3,50,50,024.00 निवेश संवर्धन सहायता की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2008–09 के लिए यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। इकाई को वर्ष 2007–08 के लिए प्रथम क्लेम के रूप में 2,61,93,863.00 सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 4581.45 लाख, पात्रता अवधि दिनांक 29.03.2007 से 28.03.2014 (7 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है। योजनान्तर्गत इकाईयों द्वारा उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों के अन्दर किया गया निवेश, कुल पूंजी निवेश में, सुविधा की मात्रा बढ़ाने हेतु जोड़ा जा सकता है। इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों के अन्दर रू. 2015.17 लाख अतिरिक्त पूंजी निवेश कर इसे कुल पूंजी निवेश में जोड़े जाने हेतु आवेदन किया गया है जिसे महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना द्वारा प्रमाणित किया गया है। अतिरिक्त पूंजी निवेश जोड़ने के पश्चात् इकाई का तकनीकी उन्नयन सह विस्तार अन्तर्गत किया गया कुल स्थायी पूंजी निवेश रू. 6596.62 लाख है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई का तकनीकी उन्नयन सह विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक एवं उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों के अन्दर किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 6596.62 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2008–09 हेतु एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 4,67,33,366.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 3,50,50,024.00 (रू. तीन करोड़ पचास लाख पचास हजार चौबीस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 प्रथम क्लेम राशि रू. 2,61,93,863.00 एवं वर्ष 2008–09 द्वितीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 3,50,50,024.00 कुल राशि रू. 6,12,43,887.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 59,84,18,113.00 शेष रहेगी।

16. एजेण्डा क्रमांक 16 : मेसर्स विप्पी स्पिनप्रो लिमिटेड, देवास –

इकाई द्वारा किये गये द्वितीय विस्तार अन्तर्गत वर्ष 2005–06 के लिए प्रथम क्लेम समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। द्वितीय विस्तार के लिए इकाई की **'कॉटन यार्न'** हेतु द्वितीय विस्तार के पूर्व मूल स्थापित क्षमता 4380 मी.टन (मूल क्षमता 3330 मी.टन + प्रथम विस्तार 1050 मी.टन) है। इकाई को द्वितीय विस्तार अन्तर्गत स्थापित क्षमता 4620 मी.टन पर सुविधा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इकाई प्रथमतः मूल स्थापित एवं प्रथम विस्तारित क्षमता (4380 मी.टन) को प्राप्त करे, तत्पश्चात् उसे द्वितीय विस्तार पर सुविधा देय होगी। वर्ष 2005–06 के लिए इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर पुष्टि आदेश क्र.वैट/पात्रता/09/338 देवास, दिनांक 16.04.2009 के अनुसार इकाई द्वारा कुल मूल स्थापित क्षमता के विरूद्ध 1095 मी.टन उत्पादन करते हुए द्वितीय विस्तार अन्तर्गत किये गये उत्पादन 96.25 मी.टन पर सुविधा चाही गई है। चूंकि इकाई द्वारा अपनी मूल स्थापित एवं प्रथम विस्तारित क्षमता के अनुरूप पूर्ण उत्पादन नहीं किया गया है अतः इकाई को वर्ष 2005–06 के लिए द्वितीय विस्तार पर सुविधा देय नहीं होगी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2005–06 के लिए द्वितीय विस्तार हेतु प्रस्तुत इकाई का क्लेम प्रकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

17. एजेण्डा क्रमांक–17: मेसर्स महिन्द्रा स्टील सर्विस सेन्टर लिमिटेड, मण्डीदीप

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए नवीन इकाई के रूप में प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 03.03.2010 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक 03.03.2010 तक स्थिर अस्तियों में किया गया पूंजी विनियोजन रू. 3101.70 लाख मान्य करते हुए जिला मण्डीदीप औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण पात्रता अवधि उत्पादन दिनांक 03.03.2010 से 02.03.2020 तक अर्थात 10 वर्ष तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत मान्य की जाकर वर्ष 2009–10 में जमा कर राशि रू. 6,62,810.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 4,97,108.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की है।

समिति द्वारा विचारोपरांत उत्पादन दिनांक तक इकाई द्वारा किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 3101.70 लाख मान्य करते हुए, वर्ष 2008–09 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 6,62,810.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 4,97,108.00 (रूपये चार लाख

सन्तानवे हजार एक सौ आठ मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह वर्ष 2009–10 के प्रथम क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 4,97,108.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 30,96,72,892.00 शेष रहेगी।

18. <u>एजेण्डा क्रमांक–18: मेसर्स क्रॉम्प्टन ग्रीव्स लिमिटेड (टी–3 डिवीजन) मण्डीदीप, जिला रायसेन</u>

इकाई द्वारा किये गये विस्तार अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा विस्तार अन्तर्गत दिनांक 31.03. 2009 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा इकाई के विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक 31.03.2009 तक स्थिर अस्तियों में किया गया पूंजी विनियोजन रू. 3276.32 लाख मान्य कर मण्डीदीप औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण पात्रता अवधि उत्पादन दिनांक 31.03.2009 से 30.03.2019 तक अर्थात 10 वर्ष तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत मान्य की जाकर वर्ष 2009–10 में जमा कर राशि रू. 140.27 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 1,05,20,250.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक तक स्थायी पूंजी निवेश रू. 3276.32 लाख मान्य करते हुए, वर्ष 2009–10 हेतु एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 140.27 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 1,05,20,250.00 (रूपये एक करोड़ पाँच लाख बीस हजार दो सौ पचास मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 के प्रथम क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 1,05,20,250.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 31,75,57,615.00 शेष रहेगी।

19. <u>एजेण्डा क्रमांक–19 : मेसर्स किसान इरिगेशन लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार–</u>

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए नवीन इकाई के रूप में इकाई का द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 24.11.2007 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा उत्पादन दिनांक 24.11.2007 तक मान्य पूंजी निवेश रू. 773.21 लाख के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण पात्रता अवधि उत्पादन दिनांक 24.11.2007 से 23.11.2012

तक अर्थात 5 वर्ष तथा सुविधा की मात्रा 50 प्रतिशत मान्य की जाकर वर्ष 2008–09 में जमा कर राशि रू. 76,25,482.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 38,12,741.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा उत्पादन दिनांक 24.11.2007 तक योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 773.20 लाख मान्य किया गया है जिसमें भूमि मद में किया गया निवेश रू. 53.06 लाख शामिल है। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि योजनान्तर्गत भूमि मद में कुल निर्मित क्षेत्र की दो गुनी भूमि का मूल्य अधिकतम मान्य किया जा सकता है, जिसके आधार पर इकाई के पक्ष में भूमि मद में मान्य योग्य राशि रू. 22.44 लाख होगी। भूमि मद में किया गया अधिक पूंजी निवेश रू. 30.62 लाख कम करने के पश्चात् योजनान्तर्गत उत्पादन दिनांक की स्थिति में इकाई का मान्य योग्य पूंजी निवेश रू. 742.58 लाख रहता है। इकाई का प्रथम क्लेम वर्ष 2007–08 निरंक है।

समिति द्वारा विचारोपरांत नवीन इकाई के रूप में इकाई का उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 742.58 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2008–09 हेतु एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 76,25,482.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 38,12,741.00 (रूपये अड़तीस लाख बारह हजार सात सौ इकतालीस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 का प्रथम क्लेम निरंक एवं वर्ष 2008–09 के द्वितीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 38,12,741.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 7,04,45,259.00 शेष रहेगी।

20. <u>एजेण्डा क्रमांक–20 : मेसर्स ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (सी.पी.डब्ल्यू.डिवीजन) बिरलाग्राम नागदा तह. नागदा, जिला उज्जैन</u>

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इकाई का नवीन इकाई के रूप में प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 28.06.2010 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक 28.06.2010 तक स्थिर अस्तियों में किया गया पूंजी विनियोजन रू. 568.99 लाख मान्य करते हुए जिला उज्जैन औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण पात्रता अवधि उत्पादन दिनांक 28.06.2010 से 27.06.2015 तक अर्थात 5 वर्ष तथा सुविधा की मात्रा 50 प्रतिशत मान्य की जाकर वर्ष 2010–11 में जमा कर राशि रू. 15,58,395.00

(कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 7,79,187.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत नवीन इकाई के रूप में इकाई का उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 568.99 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2010—11 हेतु एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 15,58,395.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 7,79,187.00.00 (रूपये सात लाख उन्यासी हजार एक सौ सत्यासी मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में प्रथम क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 7,79,187.00.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 561.19 लाख शेष रहेगी।

21. <u>एजेण्डा क्रमांक—21 : मेसर्स ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (केमिकल डिवीजन) बिरलाग्राम नागदा तह. नागदा जिला उज्जैन</u>

वित्तीय वर्ष 2008—09 के लिए इकाई द्वारा किये गये तकनीकी उन्नयन सह विस्तार के अन्तर्गत द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा तकनीकी उन्नयन सह विस्तार अन्तर्गत दिनांक 01.02.2007 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2008—09 हेतु जमा कर राशि रू. 3,20,46,170.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 2,40,34,627.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2008—09 के लिए यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। इकाई को वर्ष 2007—08 के लिए प्रथम क्लेम के रूप में रू. 171.40 लाख सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 8712.70 लाख, पात्रता अवधि दिनांक 01.02.2007 से 31.01.2012 (5 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2008—09 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 3,20,46,170.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 2,40,34,627.00 (रूपये दो करोड़ चालीस लाख चौंतीस हजार छः सौ सत्ताईस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह द्वितीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 2,40,34,627.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 83,00,95,214.00 शेष रहेगी।

22. <u>एजेण्डा क्रमांक–22 : मेसर्स प्लेटिनम सीमेंट्स प्रा.लि. ग्राम–गंगानगर, तिरला, जिला धार–</u>

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए नवीन इकाई के रूप में इकाई का द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 27.03.2009 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार द्वारा इकाई के पक्ष में उत्पादन दिनांक 27.03.2009 तक स्थायी पूंजी निवेश एवं रू. 402.64 लाख मान्य कर वर्ष 2010–11 हेतु द्वितीय क्लेम प्रकरण के लिए जमा कर राशि रू. 53,24,090.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 26,62,045.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2010–11 के लिए यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। इकाई को वर्ष 2010–11 के लिए प्रथम क्लेम के रूप में रू. 27,72,374.00 सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 402.64 लाख, पात्रता अवधि दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2014 (5 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 50 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2010–11 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 53,24,090.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 26,62,045.00 (रूपये छब्बीस लाख बासठ हजार पैंतालीस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 के प्रथम क्लेम राशि रू. 27,72,354.00 एवं वर्ष 2010–11 के द्वितीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 26,62,045.00 कुल 54,34,399.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 3,48,29,601.00 शेष रहेगी।

23. <u>एजेण्डा क्रमांक–23 : मेसर्स राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड (टीबीडब्ल्यू यूनिट), पीथमपुर</u>

इकाई द्वारा किये गये द्वितीय विस्तार अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2004–05 को प्रथम क्लेम निरंक है। इकाई द्वारा द्वितीय विस्तार अन्तर्गत दिनांक 11.02.2005 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

इकाई द्वारा द्वितीय विस्तार अन्तर्गत आवेदित स्थायी पूंजी निवेश 2050.51 लाख के विरूद्ध महाप्रबंधक द्वारा योजनान्तर्गत स्थायी मदों में स्थायी पूंजी निवेश रू. 1121.55 लाख मान्य किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। शेष पूंजी निवेश रू. 928.96 लाख विंड मिल से संबंधित होने, ब्याज, हॉटल व्यय, पीओपी व्यय तथा अन्य विविध व्यय पर होने के कारण अमान्य किया गया है। इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 10.00 करोड़ से अधिक होने तथा

पीथमपुर औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण महाप्रबंधक, पीथमपुर द्वारा इकाई की पात्रता अवधि, उत्पादन दिनांक 11.02.2005 से 10.02.2015 तक अर्थात 10 वर्ष तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत मान्य करते हुए इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 में विस्तारित क्षमता अन्तर्गत पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर चुकाये गये कर रू. 71,53,959.00 का (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) 75 प्रतिशत अर्थात रू. 53,65,469.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई का द्वितीय विस्तार अन्तर्गत, उत्पादन दिनांक तक स्थायी पूंजी निवेश रू. 1121.55 लाख मान्य करते हुए, वर्ष 2005–06 हेतु एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 71,53,959.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 53,65,469.00 (रू. त्रैपन लाख पैंसठ हजार चार सौ उन्हत्तर मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में वर्ष 2004–05 के प्रथम क्लेम राशि निरंक एवं वर्ष 2005–06 के द्वितीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 53,65,469.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 10,67,89,531.00 शेष रहेगी।

सभी सदस्यों को धन्यवाद् ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(पी.के. दास)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीएसआईडीसी एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

(पी.के. दाश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

परिशिष्ट–1

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहयता समिति की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.02.2012 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1.	श्री पी.के. दास	प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्रायफेक एवं एमपीएसआईडीसी
2.	श्री राजेश चतुर्वेदी	उद्योग आयुक्त, म.प्र.
3.	श्री पंकज भारद्वाज	उप सचिव, वित्त विभाग, म.प्र.
4	श्री राघवेन्द्र दुबे	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, म.प्र.
अन्य उपस्थित अधिकारी		
1	श्री सी.एस.धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी.ट्रायफेक